कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म),हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के कृषि भंण्डार हल्दी में उपलब्ध लगभग 2500 कुन्तल गेहुं (व्यवसायिक) एवं लाही (व्यवसायिक) 150 कुन्तल को निविदा के माध्यम विक्रय किये जानेहेतु निविदा :–

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या......................	:	निविदा शुल्क रू 2000.00 प्रति निविदा+18%जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 28.10.2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि		दिनांक 06.11.2025 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 07.11.2025 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 07.11.2025 को अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के कृषि भंण्डार में उपलब्ध विक्रय किये जाने वाले कृषि जिन्सका विवरण –

क्र0 सं0	कृषि जिन्सों का विवरण	अनुमानित मात्रा (कुन्तल)	दर प्रति कुन्तल
1	2	3	4
1.	गेहुं (व्यवसायिक)	2500	
2.	लाही (व्यवसायिक)	150	

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि रू .... बैंक ड्राफ्ट सं0.................................. दिनांक.................................... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

ड्राफ्ट सं0 ....
दिनांक..
धनराशि रू..

निविदादाता के हस्ताक्षर..
पूरा नाम/पिता का नाम ....
ग्राम व पो0..
तह0..................................जनपद..
पिन...दूरभाष...................................
मोबाइल नं0..
पैन नम्बर .... आधार नं0.............................
बैंक का नाम एवं शाखा ....
बैंक खाता संख्या ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के कृषि भंण्डार हल्दी में उपलब्ध लगभग 2500 कुन्तल गेहुं (व्यवसायिक) एवं लाही (व्यवसायिक) 150 कुन्तल को निविदा के माध्यम विक्रय किये जाने हेतु–

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदायें दिनांक 07.11.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी। डाक व अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाली निविदाओं हेतु विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नही होगा। इच्छुक निविदादाता स्वंय अथवा अपना प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
2. गेहूँ व्यवसायिक एवं लाही व्यवसायिक हेतु दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम स्वीकार्य नही होगीं।
3. निविदा देने के पश्चात् माल की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नही किया जायेगा।
4. निविदा प्रपत्र एवं शर्ते फार्म मुख्यालय हल्दी से किसी भी कार्य दिवस में रू 2000.00+18% जी.एस.टी. जमा कर प्राप्त की जा सकती है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाईड www.gbpuat.ac.in से डाउनलोड की जा सकती है। जिस हेतु निविदा प्रपत्र के साथ रू 2000.00+जी.एस.टी. का बैंक ड्राफ्ट जो विश्वविद्यालय फार्म लेखा हल्दी के नाम देय हो संलग्न करना होगा।
5. सफल निविदादाता को सामाग्री उठाने से पूर्व जी.एस.टी एवं अन्य कर जो देय होंगे, का भुगतान सम्बन्धित विभाग में जमा कर उसकी रसीद फार्म कार्यालय में जमा करनी होगी तथा विक्रय की गयी सामाग्री की पूर्ण धनराशि एक मुश्त फार्म कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही सामाग्री को उठाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. निविदा के साथ गेहुं (व्यवसायिक) हेतु धरोहर धनराशि रू 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये) एवं लाही (व्यवसायिक) हेतु धरोहर धनराशि रू 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) वापसी योग्य का बैंक ड्राफ्ट एवं एफ0डी0आर0 जो विश्वविद्यालय फार्म खाता के नाम भारतीय स्टेट बैंक हल्दी/पन्तनगर/यूको बैंक हल्दी/पन्तनगर/नैनीताल बैंक नगला में (विश्वविद्यालय फार्म खाता) देय हो जमा करना आवश्यक होगा। बिना पर्याप्त धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
7. सफल निविदादाता द्वारा क्रय किये गये कृषि जिन्सों को 02 सप्ताह के अन्दर उठाना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में रू 1.00 (एक रूपये मात्र) प्रति कुन्तल प्रति दिन की दर से भंण्डार कर जमा किया जाना होगा।
8. यदि सम्बन्धित निविदादाता द्वारा कय किये गये कृषि जिन्सों को 01 माह के भीतर उठाना सुनिश्चित नही करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी एवं इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।साथ ही निविदा को निरस्त करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित की जाने की कार्यवाही की जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय को निहित होगा। किसी तरह के विवाद पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला–ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
10. सम्बन्धित निविदादाता को अपना बैंक खाता, पेन नं0 एवं आधार कार्ड नं0, जी0एस0टी0 नं0 का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
11. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प ड्यूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू होगा, उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
12. निविदादाता द्वारा कय किये जाने वाले कृषि जिन्सों (गेहूँ व्यवसायिक एवं लाही व्यवसायिक) की दर को स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी।
13. सफल निविदादाता द्वारा भंण्डार से माल निकालने तथा यातायात का प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
14. इच्छुक निविदादाता निविदा देने से पूर्व सामाग्री को सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक निरीक्षण कर सकता है।
15. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म में कार्यरत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य निविदा में भाग नही ले सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 15 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य है।

मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

निविदादाता के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक आपरेशन, फार्म/मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

पत्रावली के पूर्व पृष्ठ संख्या 113–117 (ई–फाईल संख्या CFD44) पर सक्षम अधिकारी द्वा विश्वविद्यालय फार्म के भण्डार में रखे गेहूं (व्यवसायिक) अनुमानित मात्रा 2500 कुन्तल एवं लाही (व्यवसायि अनुमानित मात्रा 300 कुन्तल को निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थ जिसके उपरान्त विश्वविद्यालय फार्म द्वारा उपरोक्त कृषि जिन्सों के विक्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की ग थी। उपरोक्त कृषि जिन्सौं के विक्रय हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक 19.08.2025 को समिति के सम निविदायें खोली गयी। जिसमें कृषि जिन्सों की बिक्री हेतु 06 निविदायें प्राप्त हुई। जिसमें 2500 कुन्तल गे व्यवसायिक हेतु 05 एवं लाही व्यवसायिक 300 कुन्तल हेतु 01 निविदा प्राप्त हुयी।

प्राप्त निविदाओं में मै0 तारा चन्द एण्ड सन्स, रामपुर द्वारा 2500 कुन्तल गेहूं (व्यवसायिक) हे उच्चतम दर रू 2477.00 प्रति कुन्तल की दरें दी गयी है जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रू 2425.00 से मा 52.00 रूपये अधिक है, परन्तु बाजार दर की अपेक्षा कम है, जिसके दृष्टिगत समिति द्वारा उक्त प्राप्त दर (2477.00) को उचित न मानते हुये निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की संस्तुति की गयी, त समिति द्वारा लाही हेतु मात्र 01 निविदा प्राप्त होने के दृष्टिगत प्राप्त निविदा को निरस्त कर पुनः निवि आमंत्रित की किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है (पत्रावली के सम्मुख रक्षित पताका–'क')।

अवगत कराना है कि पूर्व आमंत्रित निविदा में 300 कुन्तल लाही (व्यवसायिक) हेतु निविदा आमंत्रि की गयी थी, जिसमें 153 कुन्तल लाही नेशनल सीड कॉरपोरेशन (NSC) को आपूर्ति कर दी गयी, उक्त दृष्टिगत लाही (व्यवसायिक) को 300 कुन्तल के स्थान पर 150 कुन्तल (अनुमानित) निविदा के माध्यम से विक्र किया जाना प्रस्तावित है निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कृषि जिन्सों का विवरण निम्नवत् है-

कम सं0	कृषि जिन्सों का विवरण	अनुमानित मात्रा
1.	गेहुं (व्यवसायिक)	2500 कुन्तल
2.	लाही (व्यवसायिक)	150 कुन्तल

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में निम्नवत् प्रस्तावित है–

1. विश्वविद्यालय फार्म के कृषि भण्डार में भण्डारित अनुमानित 2500 कुन्तल गेहुं (व्यवसायिक) तथा लाह (व्यवसायिक) 150 कुन्तल को को निविदा/खुली बोली के माध्यम से विक्रय किये जाने की स्वीकृ प्रदान किया जाना।
2. उपरोक्त कृषि जिन्सों को निविदा के माध्यम से नीलामी की सूचना को प्रादेशिक /राष्ट्रीय सामाचा पत्र में प्रकाशन कराये जाने की स्वीकृति तथा प्रकाशन पर होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय फा के सुसंगत मद से वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना।
3. कृषि जिन्सों की निविदा के माध्यम से विक्रय की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तारि किये जाने की स्वीकृति।
4. निविदा के माध्यम से विक्रय में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक निविदादाता द्वारा गेहुं (व्यवसायिक) प रू 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये) एवं लाही (व्यवसायिक) पर रू 50,000.00 (पचास हजार रूपये) क सुरक्षा धनराशि जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना।
5. निविदा आमंत्रित किये जाने एवं खोले जाने की तिथि निर्धारण हेतु मुख्य महाप्रबन्धक फार्म को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति।
6. गेहुं (व्यवसायिक) एवं लाही (व्यवसायिक) को निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु प्राप्त निविदाओं को निम्न समिति के माध्यम से खोलने एवं आवश्यक संस्तुति प्रदान करने की स्वीकृति।

- कुलपति जी द्वारा नामित सदस्य — अध्यक्ष
- मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म — सदस्य
- नियंत्रक / नामित — सदस्य
- संयुक्त निदेशक, फ़सल अनुसंधान केन्द्र — सदस्य
- प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय / नामित — सदस्य
- महाप्रबन्धक आपरेशन, फार्म — सदस्य
- सहायक निदेशक, फार्म — सदस्य

कृपया बिन्दु संख्या 01 से 06 पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली **नियंत्रक / कुलपति** जी को प्रेषित की जा सकती है।

26/9/25
(अजय प्रभाकर)
सहायक निदेशक, वि.वि. फार्म

26/9/2025

F-1422
26/9/25

उपनियंत्रक / मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

कृपया सहायक निदेशक, फार्म के पूर्व पृष्ठ 120–121 प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन करने का कष्ट करे जो कि विश्वविद्यालय फार्म के भण्डारो में रक्षित गेहूँ (व्यवसायिक) 2500 कुन्तल तथा लाही(व्यवसायिक) 150 कुन्तल को निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक है।

उक्त सदर्भ में अवगत करना है कि पूर्व में विश्वविद्यालय फार्म पर उपलब्ध लाही(व्यवसायिक) एवं गेहूँ (व्यवसायिक) को निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त निविदाए आमंत्रित की गयी थी। जिसमे गेहूँ (व्यवसायिक) की उचित दरे प्राप्त न होने तथा तथा लाही (व्यवसायिक) हेतु मात्र 01 निविदा प्राप्त होने के दृष्टिगत उक्त निविदा को समिति द्वारा निरस्त करते हुये पुनः निविदाए आमन्त्रित किये जाने की संस्तुति की गयी (सम्मुख रक्षित पताका 'क')।

सहायक निदेशक, फार्म द्वारा अपने प्रस्ताव में यह भी उल्लिखित किया है कि पूर्व में 300 कुन्तल लाही(व्यवसायिक) हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसमें से 153 कुन्तल लाही को नेशनल सीड कॉरपरेशन (NSC) को आपूर्ति कर दी गयी है। उक्त के दृष्टिगत लाही (व्यवसायिक) को 300 कुन्तल के स्थान पर 150 कुन्तल (अनुमानित) को निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

C-2094
3/10/25

अतः सहायक निदेशक, फार्म के पूर्व पृष्ठ 120–121 प्रस्तुत प्रस्ताव, एवं समिति की संस्तुति के क्रम में विश्वविद्यालय फार्म के भण्डारो में रक्षित गेहूँ (व्यवसायिक) 2500 कुन्तल तथा लाही(व्यवसायिक) 150 कुन्तल को निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने के लिये पूर्व पृष्ठ 120–121 पर प्रस्तुत बिन्दु सं0 01 से 06 पर की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली नियंत्रक / कुलपति जी को प्रेषित करना चाहे।

29/9/25
(जयन्त सिंह)
मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

27/09/25
29/9/25

AAO (Budget)
03/10/25

सहायक लेखाधिकारी / नियंत्रक / कुलपति जी

कृपया पूर्व पृष्ठ संख्या 121 पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन करना चाहें जिसमें विश्वविद्यालय फार्म के भण्डारों में रक्षित गेहूँ (व्यवसायिक) 2500 कुन्तल तथा लाही (व्यवसायिक) 150 कुन्तल को निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने की स्वीकृति चाही गई है।

प्रस्तुत प्रस्ताव में विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व पृष्ठ संख्या 117 पर कुलपति महोदय की प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में गेहूँ (व्यवसायिक) की अनुमानित मात्रा 2500 कुन्तल एवं लाही (व्यवसायिक) की 300 कुन्तल की मात्रा को निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई। उक्त के सापेक्ष 2500 कुन्तल गेहूँ व्यवसायिक हेतु 05 एवं 300 कुन्तल लाही व्यवसायिक हेतु 01 निविदा प्राप्त हुई। गेहूँ व्यवसायिक हेतु उच्चतम दर रू0 2477.00 प्रति कुन्तल प्राप्त हुई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य धनराशि रू0 2425.00 से मात्र 52.00 रुपये अधिक है, किन्तु बाजार दर की अपेक्षा कम होने तथा 300 कुन्तल लाही व्यवसायिक हेतु 01 निविदा प्राप्त होने के दृष्टिगत निविदा समिति द्वारा निविदा को निरस्त कर पुंनः निविदा आमंत्रित किये जाने की संस्तुति की गई है (निविदा समिति की संस्तुति सम्मख रक्षित पताका क)। साथ ही विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 153 कुन्तल लाही व्यवसायिक नेशनल सीड कॉरपोरेशन (NSC) को आपूर्ति कर दी गयी है जिसके दृष्टिगत अनुमानित शेष 150 कुन्तल लाही व्यवसायिक को निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराया जाना है कि पूर्व पृष्ठ संख्या 117 पर कुलपति महोदय द्वारा शैक्षणिक डेरी फार्म नगला की आवश्यकतानुसार उपज देने के उपरांत शेष उपज को निविदा के आधार पर विक्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा डेरी फार्म, नगला को उपज की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में आख्या प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी।

अतः पूर्व पृष्ठ संख्या 121 पर विश्वविद्यालय फार्म के लेखानुभाग की टीप एवं सम्मुख रक्षित समिति की संस्तुति के दृष्टिगत पूर्व पृष्ठ संख्या 120–121 के बिन्दु 01 से 06 पर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पत्रावली विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत। विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के सुसंगत प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय नियमों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

09/10/25
DA

13/10/25
AAO

15/10/25
नियन्त्रक

C-2094
15/10/25
TS

नियंत्रक कार्यालय
पत्र स0...3770.......
दिनाँक...15/10/25

VC

22.10.25